



Neutral Citation No. - 2026:AHC:53603

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 8069 वर्ष 2026

अभिषेक उर्फ बंटी चंदेल

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: आदर्श ओझा, अश्विनी कुमार ओझा

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान एजीए श्री अरिमर्दन यादव की बात सुनी और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत यह जमानत याचिका, आवेदक अभिषेक उर्फ बंटी चंदेल की ओर से दायर की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 की धारा 2/3 के तहत दर्ज प्रकरण अपराध संख्या 307/2021 में मुकदमे की सुनवाई के दौरान उन्हें जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

प्रारंभ में ही विद्वान एजीए ने निवेदन किया कि इस मामले में कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं और इसलिए वे न्यायालय को आवेदक के आपराधिक इतिहास के बारे में सूचित करने की स्थिति में नहीं हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि गिरोह चार्ट में उल्लिखित आवेदक के एक मामले और पांच अन्य मामलों के आपराधिक इतिहास को जमानत आवेदन के समर्थन में दायर हलफनामे के अनुच्छेद 9 में विधिवत स्पष्ट किया गया है। उन्होंने इस न्यायालय का ध्यान आपराधिक अपील संख्या 4127/2022 में इस न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय की ओर भी आकर्षित किया, विशेष रूप से उस अनुच्छेद की ओर जिसमें आवेदक के छह आपराधिक मामलों का उल्लेख है। इस प्रकार उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा की गई टिप्पणियों के मद्देनजर, न्यायालय द्वारा देखे गए आपराधिक इतिहास को विधिवत स्पष्ट किया गया है। ऐसी परिस्थितियों में आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

आगे यह निवेदन किया जाता है कि आवेदक किसी गिरोह का सदस्य, नेता या आयोजक नहीं है और उसने अधिनियम की धारा 2 के खंड (ख) में वर्णित किसी गिरोह की गतिविधियों में न तो सहायता की है और न ही उकसाया है। आवेदक का उपर्युक्त मामले के अतिरिक्त कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आगे यह निवेदन किया जाता है कि आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से भागने या गवाहों को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक, जो 15.07.2021 से जेल में बंद है, वचन देता है

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



कि यदि उसे स्वतंत्रता दी जाती है तो वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में लंबित मामलों की भारी संख्या को देखते हुए, मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है।

इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत याचिका का विरोध किया है।

सभी तथ्यों, मामले की प्रकृति और अभिलेख से प्राप्त साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, और अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, और मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत के लिए उपयुक्त मामला पाता हूँ। अतः, वर्तमान जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

आवेदक **अभिषेक उर्फ बंटी चंदेल** को उपरोक्त प्रकरण अपराध संख्या में व्यक्तिगत मुचलके और दो विश्वसनीय जमानतदारों को पेश करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, जो संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप हों। निम्नलिखित शर्तों के साथ-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार का प्रलोभन, धमकी, या वादा नहीं करेगा जो मामले के तथ्यों से परिचित हो, ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव/धमकी नहीं देगा।

(iii) आवेदक स्वयं अवर न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तिथियों पर उपस्थित रहेगा: (i) मामले की शुरुआत, (ii) आरोप तय करना और (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करना।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(iv) आवेदक इस आशय का वचन पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा जब गवाह निर्णय न्यायालय में उपस्थित हों।

(v) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा या तो स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से।

उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि बाद के चरण में विद्वान एजीए द्वारा यह बताया जाता है कि आवेदक का आपराधिक इतिहास छह मामलों से अधिक है, जिसका स्पष्टीकरण दिया जा चुका है, तो आवेदक की जमानत स्वतः ही अस्वीकृत हो जाएगी।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत याचिका के निर्धारण के उद्देश्य तक ही सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले की खूबियों पर टिप्पणी के रूप में नहीं माना जाएगा। अवर न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए, प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगी।

17 मार्च, 2026

दीपक/

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”